प्रकरण संख्या 16/2019 2019/00123 ता0 रजू 16.05.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

धारासिंह मीना पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी बर्रिया तहसील करौली जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली दिनांक 20.05.2019 मु.नं. 227/2019 उनवानी सरकार बनाम धारासिंह

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 04.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। दौराने निरीक्षण गेंहूं वितरण की मात्रा का राशन कार्ड में इन्द्राज नहीं कर सिर्फ गेंहूं व दिनांक अंकित करना, दो माह का ऑनलाइन वितरण कर उपभोक्ताओं को एक माह का गेंहूं देना एवं एक माह के गेंहूं का दुरुपयोग करना, पोशमशीन की पर्ची(बिल) नहीं देना, गेंहूं का वितरण दो माह में एक बार करना, राशनकार्ड में दर्ज यूनिट अनुसार गेंहूं का वितरण नहीं करके यूनिट से कम गेंहूं दिया जाना, लेवीचीनी का स्टॉक 1.17 क्विं. कम पाया जाना आदि अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी करौली ने निर्णय दिनांक 20.05.2019 कानून के विपरीत दिया है जो खारिज किए जाने योग्य है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में जो कमियां बतायी है वह बिल्कुल गलत है। प्रवर्तन निरीक्षक अमित कुमार मण्डरायल व श्रीमति सुनीता मीणा प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 04.02.2019 को ग्राम पंचायत चैनपुर (बर्रिया) उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करना बताया गया है वह बिल्कुल गलत है। मौके पर कोई भी प्रवर्तन निरीक्षक नहीं पहुंचा है तथा जो निर्णय में गेंहू की मात्रा नहीं लिखना दो माह का गेंहू ऑनलाईन निकालकर एक माह का गेंहू देना एक माह का दुरूपयोग करना गलत लिखा है। पैरा नं. 2 में पोश मशीन द्वारा पर्ची बिल नही देना गलत लिखा है। अपीलाण्ट ने पोश मशीन की पर्चिया प्रत्येक उपभोक्ता को दी है व मद नं 3 में गेंहू वितरण में गलत अनियमिततायें बतायी है जबकि लगातार नियमानुसार जैसे अदालत मातहत के आदेश थे उसके मुताबिक गेंहू उपभोक्ता को दिया है व मद नं. 4 में कम गेंहू देना गलत दर्ज किया है। न. 5 में गलत तथ्य दर्ज किए है। अपीलाण्ट ने गेंहू का कोई दुरूपयोग नही किया है जितने माह का गेंहू दिया है उतना ही इन्द्राज किया है। मद नं. 6 में लेवी चीनी का स्टाक 1.17 क्वि. कम पाया गया यह भी गलत दर्ज किया है अपीलाण्ट ने कोई भी दुरूपयोग नहीं किया है। अदालत मातहत ने सही प्रकार से मौके का निरीक्षण भी नही किया और कार्यालय में बैठकर झूठे तथ्य निर्णय में दर्ज कर

जिला कलक्टर करौली

अपीलाण्ट के डीलर लाइसेंस को निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो काबिले मंसूख है। अपीलाण्ट ने किसी भी खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 का कोई भी उल्लंघन नही किया है। अपीलाण्ट ने नियमानुसार गेंहू का वितरण किया है। नियमानुसार चीनी वितरण की है। कहीं खाद्य सामग्री का दुरूपयोग नही किया है। अपीलाण्ट ग्राम बर्रिया ग्राम पंचायत चेनपुर बर्रिया तहसील करौली जिला करौली का राशन डीलर है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल व प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा दिनांक 04.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। अपीलार्थी की दुकान खुली हुई मिली व अपीलार्थी दुकान पर मिला। अपीलार्थी ने बताया कि काशीपुरा ग्राम पंचायत का बाजिदुपर भाग उसके अटैच लगा हुआ है जिसकी रसद सामग्री का वितरण वह मूल दुकान से ही करता है एवं उसका स्टॉक भी यहीं हैं। दोनों ही पोस मशीनों से स्टॉक की पर्ची निकलवायी गई जिनमें कुल 18718 किलो गेंहूं, 1 लीटर केरोसीन व 1.36 किलोग्राम चीनी दर्ज पायी गई। मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर 18710 किलो गेंहूं, केरोसीन 00(शून्य) लीटर व 1.36 किलो चीनी पायी गई। मौके पर उपस्थित व ग्राम गोपालगढ़, जोगीपुरा में जाकर उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई जिसमें अपीलार्थी द्वारा दो माह में एक बार राशन सामग्री का वितरण करना, दो माह की राशन सामग्री का ऑनलाइन वितरण दर्शा कर एक माह का गेंहूं देना, यूनिट के अनुसार गेंहूं ना देकर कम गेंहूं देना, कम तौलना, डराकर भगा देना, पोश मशीन की पर्ची(बिल) नहीं देना, दो माह का गेंहूं एक साथ नहीं देना पाया गया। साथ ही मौके पर प्रस्तुत किये गये राशनकार्डों की जांच करने पर पाया कि राशन डीलर द्वारा राशन कार्डों में दिये गये राशन की मात्रा का इन्द्राज नहीं किया जा रहा है। केवल गेंहूं व दिनांक का अंकन किया जा रहा है। राशन कार्डों में इन्द्राज का ऑनलाइन वितरण से मिलान करने पर डीलर द्वारा ए.पी.एल. के कार्डधारकों को हर माह गेंहूं का वितरण नहीं करना पाया गया। मौके पर प्रस्तुत राशन कार्डों में से 25 राशन कार्डों पर डीलर द्वारा कई माहों में 2 माह का एक साथ वितरण दर्शाया गया है जबकि उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें कभी 2 माह का एक साथ गेंहूं नहीं दिया गया है। पोस मशीन में दर्ज अनुसार गेंहूं का स्टॉक 8 किलोग्राम कम पाया गया। दोनों दुकानों के दिनांक 01.01.2018 के प्रारंभिक स्टॉक कुल 0.74 क्विं. चीनी एवं वक्त जांच तक कुल आमद 11.5 क्विं. चीनी सहित कुल 12.24 क्विं. चीनी में से कुल 9.71 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत कुल 2.53 क्विं. चीनी शेष होनी चाहिये थी जबकि अपीलार्थी डीलर की दुकान पर 1.36 क्विं. चीनी पायी गई जो कि 1.17 क्विं. चीनी कम थी। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 को दोनों दुकानों के कुल प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं वक्त जांच तक कुल आमद 21600 लीटर केरोसीन कुल 21600 लीटर केरोसीन में से कुल 22799 लीटर केरोसीन वितरण किया गया जो 1199 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण है। अपीलाथी राशन डीलर द्वारा अपने जवाब में पोश मशीन की पर्ची दिया जाना व राशन कार्ड में मात्रा का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं बताया जबकि प्राधिकार की शर्तों के अनुसार वितरण की गई मात्रा का राशन कार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 04.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक मण्डरायल व प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा की गई। दौराने जांच अपीलार्थी द्वारा वितरित सामग्री की मात्रा का इन्द्राज राशनकार्ड में नहीं किया जाना, उपभोक्ताओं को पोस मशीन की पर्ची(बिल) नहीं

जिला कलक्टर
करौली

दिया जाना पाया गया जो गंभीर अनियमितताएं है एवं मौके पर बनाये गये फर्द मौका पर अपीलार्थी राशन डीलर के हस्ताक्षर अपीलार्थी की स्वीकारोक्ति को प्रमाणित करते हैं। अपीलार्थी की दुकान के भौतिक सत्यापन करने पर अपीलार्थी की मूल दुकान एवं काशीपुरा ग्राम पंचायत के 1/3 भाग की अटैच दुकान के स्टॉक की पोस मशीन से पर्ची निकलवाने पर दोनों ही दुकानों का कुल स्टॉक गेंहूं 18718 किलो, चीनी 1.36 क्विं. एवं केरोसीन 00 (शून्य) लीटर पोश मशीन में दर्ज होना पाया गया। भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं 18710 किलो, चीनी 1.36 क्विं. एवं केरोसीन 00 (शून्य) लीटर पाया गया। इस प्रकार 8 किलो गेंहूं को छोड़कर पोश मशीन में दर्ज स्टॉक व मौके पर स्टॉक तो सही है लेकिन अपीलार्थी की दोनों दुकानों के स्टॉक की कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट करने पर पाया कि वक्त जांच अपीलार्थी की दुकान में 2.53 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी जो 1.36 क्विं. चीनी पायी जाकर 1.17 क्विं. चीनी कम पायी गई तथा अपीलार्थी राशन डीलर को कुल 21600 लीटर केरोसीन की ही आपूर्ति हुई जबकि अपीलार्थी डीलर द्वारा 21799 लीटर केरोसीन का वितरण अर्थात् 1199 लीटर केरोसीन का अधिक वितरण किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। मौके पर प्रस्तुत राशनकार्डो मे से 25 राशनकार्डों की जांच एवं ऑनलाइन वितरण एवं उपभोक्ताओं के बयानों से यह स्पष्ट है अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा ए.पी.एल. के पात्र परिवारों को दो माह में एक बार ही वितरण किया जाता है जबकि ऑनलाइन वितरण दो माह का दर्शाया जाकर उपभोक्ताओं को एक माह का ही गेंहूं वितरित किया जाता है तथा वितरण की मात्रा का राशनकार्डों में इन्द्राज नहीं करके केवल गेंहूं व दिनांक का अंकन कर दिया जाता है एवं एक माह के गेंहूं का दुरुपयोग किया जाता है जो कि गंभीर अनियमितता है। इससे उपभोक्ताओं को भी राशन सामग्री से वंचित रहना पड़ता है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की गरीबों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने की मंशा भी सफल नहीं हो पाती है। अपीलार्थी द्वारा कम पाई गई 1.17 क्विं. चीनी व अधिक वितरण किये गये 1199 लीटर केरोसीन के संबंध में भी कोई संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 20.05.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली